फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मेगाराम बनाम गोपाल वगै. वाद

मुकदमा नम्बर 55/133/2005

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	4/8/25	प.क. उपस्थित। अहलमद प्रा.पत्र पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र 07 R.11 हेतु दिनांक 6/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	
	6/8/25		
	7/8/25	प.क. उपस्थित। बहस प्रा.पत्र पर श्रवण किया गया। प्रा.पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा.पत्र 07 R.11 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण एवं पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली को नम्बर शुमार होकर रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

वाद संख्या :–55/133/2005

मंगला बनाम गोपाल वगै0

(वाद बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व
सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांकः–07.08.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7/1 ता 7/8, 8/1 ता 8/5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का इस आशय का पेश किया गया है कि यह कि वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का सन 2005 में पेश किया था जिस वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 भी आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार पुश्तैनी से चले आ रहे थे। वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा एक वाद उनवानी नारायण वगै. बनाम मंगला वगै, वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 39/92 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूँ, जिला जयपुर के यहां पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 30.08.2002 को दोनो पक्षों की सुनवाई कर वाद पत्र को खारिज फरमा दिया गया है। जिस वाद पत्र के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के अपील पेश की जो अपील संख्या 198/2002/223 नारायण वगै, बनाम मंगला वगै. में दोनों पक्षों की सुनवाई कर सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड को मध्य नजर रखते हुए न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2002 निरस्त किया गया एवं आराजी खसरा नम्बर 846/1, 846/2, 866, 863, 864, 873, 876, 877/1374/1,877/1374/2 कुल किता 10 का रकबा 35 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम आष्टीखुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का वादी/अपीलान्ट संख्या 1 नारायण का हिस्सा 1/3 हिस्सा, वादी/अपीलान्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को शेष 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजीयात में अपीलान्ट के 2/3 भाग पर कब्जे काश्त में दखलन्दाजी ना तो स्वयं डाले, ना ही अपने एजेन्ट के माध्यम से करवाये, ना ही उक्त 2/3 भू–भाग पर स्वयं काबिज होने की कोशिश करें एवं उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध वादी ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी पेश की जो निगरानी संख्या

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उनवानी गोपाल बनाम नारायण वगै. के नाम से पेश की गई। इस निगरानी में दोनों पक्षों को सुनवाई कर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 को यथावत रखते हुए निगरानी स्वीकार की गई जो निर्णय व डिक्री आज भी यथावत चली आ रही है। उक्त वाद पत्र में न्यायालय श्रीमान द्वारा विवाद्यक दिनांक 28.02.2011 को कायम किये गये थे जिन विवाद्यक में विवाद्यक संख्या 3 "आया दावा बक्शीशनामा के आधार पर पेश किया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से खारिज योग्य है।" जिम्मे प्रतिवादीगण उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान द्वारा पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत करवाये गये बक्शीशनामा दिनांक 13.04.2005 को अलग–अलग बक्शीशनामे करवाये जा चुके है. जिन बक्शीशनामों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना उक्त वाद पत्र में किसी भी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने का वादी अधिकारी नही होने से वादी का वाद पत्र कानूनन पेश रफ्त नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की ओर से सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दौराने बंदोबस्त की गलती से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राजात के आधार पर सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी दर्ज हो गई थी जिस खातेदारी के आधार पर वादी ने वाद पत्र तथ्यों को छुपाकर 1/2 हिस्से का वाद पेश किया गया है जबकि वादी का व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त विवादित आराजीयात मे 1/3 हिस्सा पर पुश्तैनी रूप से काबिज रहे है तथा 2/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान अपने पूर्वजों के समय से एवं दौराने बन्दोबस्त के पूर्व से काबिज काश्त है जिस बाबत राजस्व रिकॉर्ड व खसरा गिरदावरी व लगान की रसीद एवं बक्शीशनामे आदि राजस्व रिकॉर्ड पेश किये जा चुके है। वादी मात्र वर्तमान मे 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं 1/6 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं 1/6 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं 2/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 8 पूर्व में काबिज थे जिनका स्वर्गवास होने से वर्तमान में उनके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है एवं मौके पर आराजीयात का मनबट बंटवारा कर रखा है एवं पुख्ता मकानात, छप्पर पोश, बाडे, बोरिंग आदि बना रखे है जिनसे आराजी की सिंचाई कर हर प्रकार का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 7/1 लगायत 7/8, 8/1 लगायत 8/5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने व तथ्यों को छुपाकर पेश किया हुआ होने के कारण वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का उक्त वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात् पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त मकान आदि नही है तथा न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6-9-2016 के विरूद्ध एक रिट पिटिशन प्रार्थी/वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं, जिसकी रिट संख्या 15258/2016 हैं, जो माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है। जिसमें प्रतिवादीगण की तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण स्वयं न्यायालय में हाजिर है तथा उक्त प्रकरण मे आगामी अगस्त माह में लिस्टेट होने की सम्भावना है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यो के अनुसार जिस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमे जो निर्णय हैं उसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। मिन जवाबदाता द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तकामा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद हैं, उक्त वाद मे मिन जवाबदाता के द्वारा अपनी रिकार्डेड आराजी का बंटवारा चाहा गया है, बख्शीशनामे के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई रिलिफ नही चाही गई हैं। मिन जवाबदाता के वाद पत्र मे वर्णित भूमि मिन जवाबदाता के पिता के नाम से खातेदारी आई थी, उसके पश्चात् मिन जवाबदाता के खातेदारी आई है मिन जवाबदाता अपने 1/2 भाग पर प्रारम्भ से काबिज काश्त है उसमे अपने मकान आदि बना रखा है उक्त आराजीयात् पर जो प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिस पर उनका कोई कब्जा काश्त एवं मकानात् आदि नही है। प्रार्थीगण मिन जवाबदातागण को हैरान व परेशान करने के लिए एवं उक्त प्रकरण को विलम्ब करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं के आदेश दिनांक 30.08.2002 को सुनवाई कर खारिज फरमा दिया गया जिसकी अपील अपीलीय कोर्ट श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के द्वारा दिनांक 30.08.2002 के निर्णय को निरस्त कर उभयपक्षों के 1/3-1/3 हिस्से को मानते हुए डिक्री एवं निर्णय दिनांक 26.06.2015 को पारित किया गया। उक्त निर्णय को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यथावत रखा गया। उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2015 को अलग-अलग बक्शीशनामें करवाये जा चुके है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। ऐसे में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का बार्ड बाई लॉ पोषणीय नहीं होने के कारण एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जिससे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7/1 ता 7/8, 8/1 ता 8/5 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्राधिकार के अभाव में (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7/1 ता 7/8, 8/1 ता 8/5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार जाता है तथा वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्र0/मुख्यालय) चौमूं

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0)चौमूँ, जयपुर

पिठासीन अधिकारी–: कनक जैन(R.A.S.)

वाद संख्या :–55/133/2005

मंगला बनाम गोपाल वगै0

वाद बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा0का0अ0 1955)

मुकदमा नं0:–55/133/2005

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7/1 ता 7/8, 8/1 ता 8/5 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ... . फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.08.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner